13.21 hrs.

Title: Need for setting up a bench of Allahabad High Court in Western U.P.

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फ़रनगर) : आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहुत अहम मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच स्थापित करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के वकील पिछले पांच महीने से मुकम्मल हड़ताल पर हैं। हजारों लोग जेलों में हैं। वकीलों की हड़ताल के कारण वे अपने मुकदमे कोर्ट में पेश करने की स्थिति में नहीं है और बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं। वहां के लोगों की ओर से बहुत धरने और प्रार्थनापत्र दिए गए हैं, लेकिन इतने धरने और रिप्रजेंटेशन के बाद भी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1986 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद सदन में प्रश्न उठाया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच स्थापित करना सरकार का अहम मकसद होना चाहिए और मान्यवर किसी भी समय भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनके सवाल के जवाब में तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच की स्थापना के मामले को हम नीतिगत रूप से स्वीकार करते हैं और हम महसूस करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच होनी चाहिए। उसकी वहां बहुत आवश्यकता है और वहां हाइकोर्ट की बैंच की स्थापना हेतु जगह तलाश करने का काम सरकार पर छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद आज तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि 18 जिलों में पांच महीने से वकीलों की मुकम्मल हड़ताल हो रही है और हजारों लोग जेलों में फंसे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि जेलों में भी जगह नहीं रही है। यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले माननीय मंत्री श्री गंगवार जी बैठे हैं। वे इस बात को जानते होंगे कि वहां कितनी गंभीर स्थिति है।â€¦ (व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोा कुमार गंगवार) : हमारे बरेली मंडल में तो कोई हड़ताल नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members have to look to the Chair while making speeches and the Ministers also should not reply to the Members when they are making speeches.

श्री सईदुज्जमा : मान्यवर, बहुत अहम बात है। इसलिए मैं मंत्री जी को मुखातिब कर रहा था। इनका यू.पी. से ही ताल्लुक है। यू.पी. के 72 डिस्ट्रिक्ट्स इलाहाबाद में और 12 डिस्ट्रिक्ट्स लखनऊ बैंच में कवर होते हैं। इलाहाबाद और लखनऊ दोनों बैंचें उधर ही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी बैंच नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की बैंच के लिए 1955 से प्रयास हो रहा है। श्री सम्पूर्णानन्द जी ने स्वयं इस बात को लिखा था कि मेरठ में एक बैंच होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 18 जिले पश्चिमी हाई कोर्ट में कवर होंगे और उसके बाद बाकी 54 जिले ऐसे रह जाएंगे जो इलाहाबाद बैंच में कवर होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 1976 में सुप्रीमकोर्ट की कांस्टीट्यूशन बैंच ने यह कहा था कि-

> "Allahabad has no exclusive right as a place of sitting of the High Court."

इसी बात को दुबारा जसवन्त कमीशन ने भी 1983 में रिक्मेंड किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाइकोर्ट की एक बैंच होनी चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताएं ?

श्री सईदुज्जमा : उपाध्यक्ष महोदय, 18 जिले ऐसे हैं जहां से हाइकोर्ट की इलाहाबाद बैंच 600 किलोमीटर दूर पड़ती है।

हमारे आस-पास के राज्य जैसे शिमला, चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू और कश्मीर, नैनीताल हमारे से करीब ढाई सौ किलोमीटर की दूरी में पड़ते हैं जबकि वैस्टर्न यू.पी. के 18 जिले के लोगों को छः सौ किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यह वैस्टर्न यू.पी. के साथ बहुत ज्यादती है जबकि यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमैंट में भी कही है कि हाई कोर्ट की बैंच जनता की सुविधा को देखते हुए होनी चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका केन्द्र सरकार से क्या आग्रह है?

श्री सईदुज्जमा : केन्द्र सरकार ने खुद इस बात की तसलीम की है और कानून बनाना केन्द्र सरकार का काम है, यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मामला नहीं है। केन्द्र सरकार ने यह तसलीम किया है कि हम पूर्ण रूप से हाई कोर्ट बैंच को मानते हैं और इसे तय करना सरकार का काम है और यह सरकार करेगी। अटल जी जब औपोजीशन में थे, राज्य सभा के मैम्बर थे तो उन्होंने 1986 में प्रश्न किया था और उस वक्त के मंत्री ने स्वीकार किया था कि बैंच होनी चाहिए। आज इतनी भयंकर स्थिति हो रही है कि 18 जिलों में हजारों वकील हड़ताल पर हैं और हजारों लोग जेल में हैं।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसी विाय पर दो और लोगों के नाम भी हैं।

श्री सईदुज्जमा : 50 प्रतिशत केसेज़ अभी तक पैंडिंग हैं, जो वैस्टर्न यू.पी. के हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप सरकार से कहें कि वैस्टर्न यू.पी. बैंच की बात को गंभीरता से ले। यह बहुत गंभीर मामला है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दो और माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इसी विाय पर नोटिस दिया है। क्या उनके नाम नहीं बुलाने हैं?

श्री सईदुज्जमा : मैं चाहूंगा कि मंत्री जी हमारी भावना सरकार तक पहुंचा दें कि पांच महीने से वकील हड़ताल पर हैं, हजारों बेगुनाह लोग जेल में हैं, कम से कम इतना आदेश कर दें।â€¦ (व्यवधान)

श्री संतोा कुमार गंगवार : यह विाय बहुत गंभीर है। हम भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में आते हैं। संबंधित सभी जिलों के बार ऐसोसिएशन के लोग माननीय कानून मंत्री से मिल चुके हैं, मुख्य मंत्री से मिल चुके हैं, हमने भी मिलवाया है, सबसे आग्रह करवाया है कि हड़ताल खत्म की जाए, हड़ताल से बादकारों को नुकसान हो रहा है। अपनी बात उपयुक्त माध्यम से रखी जाए। यह सरकार के ऐक्टिव कंसीड्रेशन में है। मैं संबंधित मंत्री का ध्यान इसकी ओर दिलाऊंगा।â€¦ (व्यवधान)